2006 : CGHC : 5152

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सं. 1187/2004

याचिकाकर्ता : अनुपराम पटेल, पिता श्री गांधीराम पटेल, आयु लगभग 47 वर्ष, परिचालक, सिविल लाइन्स, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छग)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. (छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परिवहन निगम, रायपुर), अब छत्तीसगढ़ अवसरंचना विकास निगम, द्वारा : संभागीय प्रबंधक (परिवहन खंड), सीआईडीसी, रायपुर, (छग)।

2. औद्योगिक न्यायालय, रायपुर, द्वारा : रजिस्ट्रार, रायपुर (छग)।

3.श्रम न्यायालय, रायपुर (छग)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत परमादेश/उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में उपयुक्त रिट या समान प्रकृति में निर्देश/आदेश जारी करने के लिए रिट याचिका।

2006 : CGHC : 5152

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 1187/2004

याचिकाकर्ता : अनुपराम पटेल

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परिवहन निगम, रायपुर और अन्य।

दिनांक 19 अप्रैल, 2006 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006 : CGHC : 5152

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 1187/2004

याचिकाकर्ता : अनुपराम पटेल

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परिवहन निगम, रायपुर और अन्य।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री।

श्री राजेश पांडे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री प्रदीप सक्सेना, उत्तरवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश
(अप्रैल, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया:

1. याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह याचिका औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा अपील क्रमांक 448/एमपीआईआर/91 में पारित आदेश दिनांक 3.3.2004 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती देते हुए दायर की है।

2. इस याचिका के निराकरण हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता/कर्मचारी (अनुपराम पटेल) ने श्रम न्यायालय रायपुर के समक्ष मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (संक्षेप में अधिनियम 1960) की धारा 31 (3) सहपठित धारा 61 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह कहा गया था कि वह वर्ष 1984 से मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम/उत्तरवादी क्रमांक

1/नियोजक के अधीन परिचालक के पद पर कार्यरत है। उसकी सेवाओं को आदेश दिनांक 7.12.1990 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसकी सेवाओं को समाप्त करने से पहले विभागीय जांच की गई थी, परंतु उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार उसके प्रकरण में प्रतिवाद करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। उसे स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया था। घटना की तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, और सेवा से हटाने का अधिरोपित दंड अत्यधिक और कठोर है।

3. याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप था कि खरारा से बलौदा बाजार के रास्ते में दिनांक 4.9.1990 को सुबह 10.20 बजे भोपाल मुख्यालय के उड़नदस्ते द्वारा वाहन क्रमांक 6848 का निरीक्षण किया गया था। उस समय 44 यात्रियों में से 22 यात्री बिना टिकट के बस में बैठे पाए गए थे। याचिकाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति, जो परिचालक के रूप में बस में ड्यूटी पर था, किराया शुल्क पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। उड़न दस्ते के निरीक्षकों ने निरीक्षण नोट निष्पादित किया और पंचनामा तैयार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी ने श्रम न्यायालय के समक्ष लिखित कथन प्रस्तुत किया जिसमें यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को अपने प्रकरण का प्रतिवाद करने का पूरा अवसर दिया गया था, वह जानबूझकर जांच से अनुपस्थित रहा और याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और विभागीय जांच में उसे कदाचार के आरोप में दोषी पाया गया।

5. श्रम न्यायालय प्रकरण संख्या 6/एमपीआईआर/91 में पारित आदेश दिनांक 24.7.1991 (अनुलग्नक पी/3) के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया था, न ही वाहन संख्या 7808, जिससे कुछ यात्रियों

को वाहन संख्या 6848 में स्थानांतरित किया गया था, की संग्रहण पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी, जिसका निरीक्षण उड़नदस्ते के निरीक्षकों द्वारा किया गया और टिकट जारी न करने की कमी पाई गई। इसे ध्यान में रखते हुए श्रम न्यायालय ने पाया कि बिना किसी साक्ष्य के होने से निष्कर्ष विकृत थे। तदनुसार याचिकाकर्ता को बिना वेतन के सेवा में बहाल करने का निर्देश पारित किया गया था। .

6. याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया है कि 22 यात्री बिना टिकट के यात्रा क्यों कर रहे थे। उत्तरवादी ने अधिनियम, 1960 की धारा 65 के अंतर्गत औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें आदेश दिनांक 24.7.1991 को चुनौती दी गई थी। अपीलीय न्यायालय ने अपील संख्या 448/एमपीआईआर/91 में पारित आदेश दिनांक 3.3.2004 के माध्यम से अपील को स्वीकार कर लिया और श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.7.1991 को रद्द कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.7.1991 को चुनौती देते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिका के साथ संलग्न अभिवचनों और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

9 . औद्योगिक न्यायालय ने अपील में सभी तथ्यों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचाराधीन वाहन में यात्रा करने वाले 22 यात्री बिना टिकट के थे। भले ही निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के बाद, याचिकाकर्ता या वाहन संख्या 7808 के किसी अन्य परिचालक द्वारा बस में यात्रा करने वाले 44 यात्रियों के किराए की पूरी राशि जमा कर दी

गई थी, तो भी याचिकाकर्ता को यात्रा करने वाले यात्रियों से बस का किराया लेने के बाद टिकट जारी न करने के कदाचार से मुक्त नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता के पास इस आशय का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सभी 22 यात्री उचित टिकट के बिना यात्रा क्यों कर रहे थे। औद्योगिक न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रमाण का दायित्व अपचारी कर्मचारी पर है, यात्रियों पर नहीं। निरीक्षण के दौरान, स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में एक उचित पंचनामा तैयार किया गया था और पंचनामा और निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

10. याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि औद्योगिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता कर्मचारी की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया था, याचिकाकर्ता के प्रकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क अपोषणीय है। पुनर्विलोकन का दायरा सीमित है और औद्योगिक न्यायालय ने आदेश दिनांक 7.4.2004 (अनुलग्नक पी/2) द्वारा पुनर्विलोकन को उचित रूप से निरस्त किया है क्योंकि इसमें पूर्व के आदेश दिनांक 3.3.2004 के पुनर्विलोकन के लिए कोई आधार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपर्युक्त कारणों से औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई प्रक्रियागत त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई गई है तथा औद्योगिक न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित हैं। इसलिए याचिका निरस्त की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

ठाकुर

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur